

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक, जिला टोंक
पीठासीन अधिकारी:- हुक्मीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 96/2023

प्रतिष्ठि दिनांक:-15.9.2023

वादी :-

1. छोटलाल पुत्र हरलाल जाति गुर्जर निवासी उस्मानपुरा, तहसील व जिला टोंक

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. कैलाश पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी गोहरपुरा, तहसीलदार व जिला टोंक
2. कैलाशी पुत्री किशनलाल जाति जाट निवासी गोहरपुरा, तहसीलदार व जिला टोंक
3. रमेश पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी गोहरपुरा, तहसीलदार व जिला टोंक
4. रामलाल पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी गोहरपुरा, तहसीलदार व जिला टोंक
5. लादी पुत्री किशनलाल जाति जाट निवासी गोहरपुरा, तहसीलदार व जिला टोंक
6. खुशीराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी गोहरपुरा, तहसीलदार व जिला टोंक
7. हनुमान पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी गोहरपुरा, तहसीलदार व जिला टोंक
8. बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय बैंक शाखा मेहन्दवास तहसील टोंक जरिये शाखा प्रबन्धक
9. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा टोंक जरिये शाखा प्रबन्धक
10. ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा टोंक जरिये शाखा प्रबन्धक
11. तहसीलदार टोंक

वाद-पत्र तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अ० धारा 88, 188, 53ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित :- श्री विजय बहादुर सिंह, अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादिया द्वारा जरिये अधिवक्ता एक वाद पत्र बाबत तकासमा आराजीयात प्रस्तुत किया कि वादी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 12/1 रकबा 1.8843 है० वाके ग्राम गोहरपुरा पटवार हल्का सोनवा तहसील व जिला टोंक मे स्थित है। उक्त आराजी मे वादी का मुताबिक राजस्व रिकार्ड 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 1 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 2 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 3 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 4 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 5 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 6 का 1/14 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 7 का 1/14 हिस्सा है और उसी के अनुसार सब अपने अपने हिस्से पर कब्जा है। उक्त अपने हिस्से की आराजी को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्रकय किया है। उक्त भूमि का विधिवत तकासमा नहीं हो रखा है इस कारण मौके पर विवाद होते रहते है। अतः उक्त आराजी का वादी के हिस्से अनुसार वाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिवत तकासमा किया जाकर पृथक से वादी के हिस्से का खाता कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे किसी भी प्रकार से उक्त आराजी मे हस्तक्षेप नहीं करे, कब्जेकाश्त मे मजाहमत नहीं करे किसी भी प्रकार से दान रहन बेचान आदि नहीं करे।

फलस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाकर, प्राथमिक डिक्री किया गया एवं तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया गया कि खसरा नंबर 12/1 रकबा 1.8843 है० वाके ग्राम गोहरपुरा पटवार हल्का सोनवा तहसील व जिला टोंक खातेदारों के मध्य मौके की कब्जाकाश्त को अंकित करते हुए भूमि की किस्म अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी के अनुसार खातेदारों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मय नवीनतम जगाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार टोंक द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसका अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अधिवक्ता वादी द्वारा मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया। उक्त विवेचन अनुसार वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

राजस्थान
टोंक (राज)

आदेश

अतः वादी का वाद तहसीलदार टोंक से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट के आधार पर रबीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है हाल खसरा नंबर 12/1 रकबा 1.8843 है, वाके ग्राम गोहरपुरा पटवार हल्का सोनवा तहसील व जिला टोंक का विभाजन वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 7 के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।
ग्राम-गोहरपुरा, पटवार मण्डल-सोनवा, तहसील टोंक, जिला टोंक

जमाबंदी संवत् 2070-2073,		खाता सं०-235, (रकबा हैक्टेयर में)	
क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा
1	छोटूलाल पुत्र हरलाल जाति गुर्जर सा० उस्मानपुरा खातेदार	12/1/2	0.2692
	योग	किता-1	0.2692
2	1. कैलाश पुत्र किशनलाल हिस्सा 21/127 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय बैंक शाखा मेहन्दवास	12/1/3	1.3461
	2. रमेश पुत्र किशनलाल हिस्सा 21/127 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा टोंक	12/1/4	0.2691
	3. रामलाल पुत्र किशनलाल हिस्सा 21/127 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा टोंक		
	4. कैलाशी पुत्री किशनलाल हिस्सा 21/127 जाति जाट सा.देह खातेदार		
	5. लादी पुत्री किशनलाल हिस्सा 21/127 जाति जाट सा. देह खातेदार		
	6. खुशीराम पुत्र भंवरलाल हिस्सा 11/127 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा टोंक		
	7. हनुमान पुत्र भंवरलाल हिस्सा 11/127 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा टोंक		
	योग	किता-2	1.6162

आज दिनांक ०७/११/२०१५ को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हक्मीचन्द रोहलागिया)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी:- हुक्मीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 96/2023

दिनांक:- 15.9.2023

वादी :- छोटूलाल पुत्र हरलाल जाति गुर्जर निवासी उस्मानपुरा, तहसील व जिला टोंक

बनाम

प्रतिवादीगण :-

- कैलाश पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी गोहरपुरा, तहसीलदार व जिला टोंक
- कैलाशी पुत्री किशनलाल जाति जाट निवासी गोहरपुरा, तहसीलदार व जिला टोंक
- रमेश पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी गोहरपुरा, तहसीलदार व जिला टोंक
- रामलाल पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी गोहरपुरा, तहसीलदार व जिला टोंक
- लादी पुत्री किशनलाल जाति जाट निवासी गोहरपुरा, तहसीलदार व जिला टोंक
- खुशीराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी गोहरपुरा, तहसीलदार व जिला टोंक
- हनुमान पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी गोहरपुरा, तहसीलदार व जिला टोंक
- बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय बैंक शाखा मेहन्दवास तहसील टोंक जरिये शाखा प्रबन्धक
- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा टोंक जरिये शाखा प्रबन्धक
- ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा टोंक जरिये शाखा प्रबन्धक
- तहसीलदार टोंक

वाद-पत्र तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अ0 धारा 88, 188, 53ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

अंतिम पर्चा डिक्री

अतः वादी का वाद, तहसीलदार टोंक से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट के आधार पर अंतिम रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 12/1 रकबा 1.8843 है0 वाके ग्राम गोहरपुरा पटवार हल्का सोनवा तहसील व जिला टोंक का विभाजन वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 7 के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है। तकासमा रिपोर्ट व कायम की गई नक्शा शीट अनुसार पक्षकारान के नाम रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा शीट तैयार की जावे।

ग्राम-गोहरपुरा, पटवार मण्डल-सोनवा, तहसील टोंक, जिला टोंक

जमाबंदी संवत 2070-2073,		खाता सं0-235, (रकबा हैक्टेयर मे)	
क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा
1	छोटूलाल पुत्र हरलाल जाति गुर्जर सा0 उस्मानपुरा खातेदार	12/1/2	0.2692
	योग	किता-1	0.2692
2	1. कैलाश पुत्र किशनलाल हिस्सा 21/127 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय बैंक शाखा मेहन्दवास	12/1/3	1.3461
	2. रमेश पुत्र किशनलाल हिस्सा 21/127 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा टोंक	12/1/4	0.2691
	3. रामलाल पुत्र किशनलाल हिस्सा 21/127 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा टोंक		
	4. कैलाशी पुत्री किशनलाल हिस्सा 21/127 जाति जाट सा.देह खातेदार		
	5. लादी पुत्री किशनलाल हिस्सा 21/127 जाति जाट सा.देह खातेदार		
	6. खुशीराम पुत्र भंवरलाल हिस्सा 11/127 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा टोंक		
	7. हनुमान पुत्र भंवरलाल हिस्सा 11/127 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा टोंक		
	योग	किता-2	1.6162

आज दिनांक 07/09/2023 को ये अंतिम डिक्री पर्चा मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(हुक्मीचन्द रोहलानिया)
उपखण्ड अधिकारी टोंक

